न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/37/2021

देवेन्द्र सैनी पुत्र पतिराम जाति माली निवासी माली ढाणी, बरसैठ तहसील कठूमर जिला अलवर।

......प्रार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये पैरोकार

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बावत वाहन संख्या आर.जे. 02–जी.बी.2420 वमुकदमे एफ.आई.आर संख्या 310 पुलिस थाना नगर अन्तर्गत धारा 3,5,6,8 राजस्थान गोवंशी पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) 1995।

उपस्थित :–

1. श्री सर्वेश सिंह, अभिभाषक प्रार्थी
2. राजकीय पैरोकार

निर्णय **दिनांक 30.11.2021**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी बोलेरो पिकअप वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे–02–जी.बी–2420 का रजिस्टर्ड मालिक है। उक्त वाहन को पुलिस थाना नगर द्वारा दिनांक 27.06.2021 को जब्त किया हुआ है। जिसमें अनुसंधान अधिकारी को उक्त वाहन की आवश्यकता नही है और वाहन थाना परिसर में खुले में खडा हुआ जिसके बर्बाद होने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड मालिक होने के कारण उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने का अधिकारी है। प्रार्थी अपने वाहन को सुपुर्दगी के सबंध में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना भली भांति करेगा तथा अन्त में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाहन संख्या बोलेरो पिकअप रजि0न0 आर.जे. 02–जी.बी. 2420 को सुपुर्दगी दिये जाने हेतु निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना सेवर से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना सेवर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 17.11.2021 शामिल पत्रावली की गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज कथनों को दोहराते हुये बताया कि प्रार्थी ने अवगत कराया कि प्रार्थी वाहन संख्या बोलेरो पिकअप रजि0न0 आर.जे. 02–जी.बी. 2420 का मालिक है तथा थाना नगर द्वारा दिनांक 27.06.2021 को जब्त कर थाना परिसर में खुले में खडा हुआ है जहां उसके खराब होने का पूर्ण अंदेशा तथा जिसकी अब प्रकरण में भी पुलिस थाना नगर को भी आवश्यकता नही होना अवगत कराया गया है। वाहन सुपुर्दगी के सबंध में न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जावेगा उसकी पालना की जावेगी। वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये तर्क दिया है कि उक्त जब्त वाहन में तीन गाय व एक बछिया ठूंस–ठूंस कर भरी हुई मिली जो कि गोवंश की थी। उक्त वाहन का उपयोग गोवंश की तस्करी एवं अनैतिक कृत्य तथा अवैध परिवहन के लिए किया गया है जो कि अक्षम्य है। अभियोजन अधिकारी द्वारा सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर गौर किया। थानाधिकारी पुलिस थाना नगर की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना नगर ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि एक वाहन बोलेरो पिकअप को दौराने चैकिंग रोका गया तो उक्त वाहन को गिरफ्त में लेकर चैक किया तो पाया कि तीन गाय व एक बछिया भरी हुई थी जिनके मुंह व पैर प्लास्टिक की रस्सी से कसकर क्रूरतापूर्वक बंधे हुये थे तथा वाहन की बॉडी में एक बछडा पडा था जो कि मृत अवस्था में मिला। उक्त वाहन को भाडे पर गौवंश को लाना जिसे गौकशी हेतु कस्बा हथीन जिला पलवल हरियाणा ले जाया जा रहा था। जिनके विरूद्ध धारा 3,5,6,8 आर.बी.ए. एक्ट के तहत कार्यवाही कर जीवित गौवंश तीन गाय व एक बछिया व एक मृत बछडे को गौशाला में छोडा जाना अवगत कराया गया है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा जब्त वाहन में गोवंश पाये जाने के सबंध में कोई तथ्य सिद्व नही किया गया है। मौके पर जब्त वाहन संख्या बोलेरो पिकअप रजि0न0 आर.जे. 02–जी.बी. 2420 में तीन गाय व एक बछिया व एक मृत बछडे पाये गये है। जो कि उक्त वाहन में गोवंश को क्रूरतापूर्वक एवं बेरहमी से भरा होना पाया गया है। जो कि पशुधन के प्रति क्रूरतापूर्ण रवैया व अवैध गौकशी तथा अमानवीय कृत्य की श्रेणी में आता है। इससे यह तथ्य साबित होता है कि उक्त वाहन अवैध परिवहन व अनैतिक रूप से गौवंश की तस्करी में उपयोग में लिया गया है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

प्रार्थी किसी भी प्रकार की रिलीफ पाने का अधिकारी नही है। ऐसी स्थिति में जप्त गोवंश में संलिप्त वाहन संख्या बोलेरो पिकअप रजि0न0 आर.जे. 02–जी.बी. 2420 को सुपुर्दगी में नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बाबत् वाहन संख्या बोलेरो पिकअप रजि0न0 आर.जे. 02–जी.बी. 2420 खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति थाना अधिकारी नगर (भरतपुर) को आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, भरतपुर